FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0009 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/01/2024 19:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 11/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/01/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/01/2024 19:32:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** arai road, ajmer

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** hariram

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** norat mal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	joraverpura, arai ajmer, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	joraverpura, arai ajmer, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9116998410

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH SHARMA		पिता:MADHA RAM	1. DALLUSAR,SARDARSHAR,CHU
2	AJEETPAL SINGH		पिता:SHIVNATH SINGH	1. CHOTA LAMBA,ARAI,AJMER,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		24,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 24,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत् महोदय, निवेदन है कि मै प्रार्थी हरीराम पुत्र श्री नौरतमल जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम जोरावरपुरा, सदर बाजार तहसील अरांई जिला अजमेर का रहने वाला हुं। मेरे बडे दादाजी श्री झीता पुत्र चतरा के नाम से ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का के खाता सं.69,9,47,172,112,167 तथा ग्राम गोठियाना के पटवार हल्का के खाता सं 13,622 मे कृषि भुमि स्थित है एवं पटवार हल्का झीरोता मे मेरी बुआ श्रीमती कैलाशी देवी व सीता देवी के नाम से कृषि भूमि स्थित है। मेरे बडे दादाजी के पुत्र नही होने से ग्राम जोरावरपुरा के खाता संख्या 47 तथा ग्राम गोठियाना मे स्थित भूमि के खाता संख्या 13,622 की भूमि की रजिस्ट्री तहसील कार्यालय अराई मे डीडराईटर व स्टाम्प विक्रेता श्री अजीत पाल सिंह अम्बिका टाइपिंग अराई से तैयार करवाई जाकर तहसील अराई मे दिनांक 29.12.23 को पेश की गई। मेरी बुआ सीता देवी व कैलाशी देवी के द्वारा ग्राम झीरोता जोरावरपुरा गोठियाना मे स्थित भूमि को मेरे पक्ष मे हकत्याग करके श्री अजीतपाल सिंह से हक त्याग प्रपत्र तैयार करवा करके तहसील अराई मे दिनांक 29.12.23 को पेश किया गया है।रजिस्ट्री व हकत्याग से सम्बंधित चालान राशि, स्टाम्प खर्च एवं डयुटी तथा अजीतपाल सिंह का टाइपिंग का खर्चा भी मेरे द्वारा दिनांक 29.12.23 को अदा कर दिया गया था। मेरे मे किसी प्रकार की राजस्व राशि, स्टाम्प डयुटी राशि बकाया नही है। समस्त राजकीय राशि व मेहनताना भी चुकता कर दिया है। मै व मेरी बुआजी का लडका सांवरलाल तहसील कायार्लय के बाबूजी श्री राकेश जी वैष्णव से कल दिनांक 05.01.2024 को रजिस्ट्री एवं हक त्याग लेने गये थे तो उन्होने रजिस्ट्री मूल अजीतपाल सिंह को देना बताया तथा हकत्याग रजिस्टर्ड नही होना बताया और हकत्याग रजिस्टर्ड करने हेतु मेरे से 25000 हजार रूपये मांगे परन्तु मैने कहा कि मैने तो 1450 रूपये की रसीद कटवाकर रूपये जमा करवा दिये है, तो उन्होने कहा कि 25000 रूपये दिये बगैर आपका काम नही होगा, हक त्याग मेरे पास ही रखा है तथा मूल रजस्ट्री अजीतपाल से ले लेना।मैं व मेरा भाई संावरलाल अजीतपाल की दूकान मे जाकर मिले तो उसने भी राकेश बाबूजी के लिये 25000 रूपये मांगे तथा मेरी दोनो रजिस्ट्री भी हमारे को नही दी। मै अपने जायज काम के बदले मे रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं वरन रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा भाई सांवरलाल मेरे साथ उपस्थित है। कानूनी कार्यवाही करवाये। प्रार्थी एसडी हरिराम पुत्र श्री नौरतमल उम्र 23 वर्ष जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील अराई जिला अजमेर मो.न. 9116998410

कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेरप्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 08.01.2024 को समय करीब 11.08 एएम पर जरिये मोबाईल नम्बर 9672426914 से परिवादी श्री सांवरलाल चैधरी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष सूचना प्रदान की कि मेरे भाई श्री हरीराम ने दिनांक 29.12.2023 को तहसील कार्यालय अराई मे 02 रजिस्ट्री व 01 हकत्यागनामा रजिस्ट्रेशन हेतु डीडराईटर श्री अजीत पाल के मार्फत प्रस्तुत किया था। उक्त दस्तावेज लेने हेतु हम तहसील कार्यालय मे गये तो श्री राकेश शर्मा व हमारा डीड राईटर श्री अजीतपाल सिंह दस्तावेज रजिस्टर्ड कर देने हेतु हमारे से 25000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। हम रिश्वत राशि नही देना चाहते है बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सांवरलाल व उसके भाई को ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया समझाईश कर दस्तावेजो सहित कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु कहा गया। समय 02.15 पीएम पर परिवादी श्री हरीराम पुत्र श्री नौरतमल उम्र 23 साल जाति जाट निवासी ग्राम सदर बाजार जोरावरपुरा तहसील अराई जिला अजमेर व सहपरिवादी श्री सावंरलाल पुत्र श्री श्रवण लाल जाति जाट उम्र 33 साल निवासी ग्राम देवरिया पोस्ट बोराडा तहसील सरवाड जिला अजमेर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय में उपस्थित होकर परिवादी श्री हरीराम ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं उपरोक्त पते का मूल निवासी हुं तथा मेरे बडे दादाजी श्री झीता पुत्र श्री चतरा राम के नाम से ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्के मे नये खाता संख्या 69,9,47,172,112,167 तथा पटवार हल्का ग्राम गोठियाना के नये खाता संख्या 133,622 मे उनके नाम से कृषि भूमि हिस्से मे आती है। इसके अतिरिक्त पटवार हल्का झीरोता मे मेरी बुआजी श्रीमती कैलाशी देवी एवं सीता देवी के नाम से पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है। मेरे बडे दादाजी श्री झीता जी के कोई पुत्र नही होने एवं चार पुत्रियां होने से उनके द्वारा ग्राम जोरावरपुरा के नये खाता संख्या 47 तथा ग्राम गोठियाना के नये खाता संख्या 133,622 के हिस्से मे आई कृषि भूमि की

रजिस्ट्री मेरे नाम से तहसील कार्यालय अराई मे जरिये डीड राईटर व स्टाम्प विक्रेता श्री अजीत पाल सिंह फर्म अम्बिका टाईपिंग एण्ड कम्पयूटर्स अराई से रजिस्ट्री अलग अलग तैयार करवाकर दिनांक 29.12.23 को तहसील कार्यालय अराई मे पेश की गई थी। उक्त दोनो रजिस्ट्री के साथ मेरी बुआ श्रीमती सीता देवी व कैलाशी देवी के द्वारा उनके नाम से ग्राम झीरोता, जोरावरपुरा, गोठियाना मे स्थित पुश्तैनी कृषि भूमि को मेरे पक्ष मे हकत्यागनामा श्री अजीत पाल सिंह से टाईप करवाकर दिनांक 29.12.23 को तहसील कार्यालय अरांई मे पेश किया था। उक्त दोनो रजिस्ट्री व हकत्याग मे सम्बन्धित चालान की राशि, स्टाम्प खर्च व स्टाम्प डयुटी तथा हकत्याग की 1450 रूपये की रसीद एवं अजीत पाल सिंह के टाईप का मेहनताना मेरे द्वारा दिनांक 29.12.23 को चुकता कर दिया था। मेरे मैं किसी प्रकार की राजस्व राशि, स्टाम्प डयुटी की राजकीय राशि तथा टाईप के मेहनताने की कोई भी राशि चुकता किया जाना शेष नही है। दिनांक 05.01.2024 को मैं व मेरी बुआजी का लडका श्री सांवर लाल अपने रजिस्टर्ड डाॅक्यूमेन्ट लेने तहसील कार्यालय के बाबू श्री राकेश शर्मा से लेने गये तो उन्होने दोनो मूल रजिस्ट्री बाद रजिस्टर्ड करने के उपरान्त अजीत पाल सिंह को देना बताया तथा हक त्याग रजिस्टर्ड नही करना अवगत कराते हुए हकत्याग रजिस्टर्ड करने के बदले मे मेरे से 25000 रूपये मांगे। मैने उनको कहा कि मैने 1450 रूपये की रसीद कटवाकर रूपये जमा करवा दिये है अब रूपये किस बात के देने है तो उन्होने कहा कि 25000 रूपये दिये बगैर आपका काम नही होगा, हकत्याग मेरे पास ही रखा है, रजिस्ट्री का खर्चा भी बकाया है। मूल रजिस्ट्री अजीत पाल से ले लेना तथा आप अपने डीड राईटर अजीत पाल सिंह से जाकर मिलो तथा रूपये उनको ही दे देना, वह रूपये मेरे पास पहुंचा देगा अन्यथा आपका काम नही होगा। मैने उनको रूपये देने से मना कर दिया मैं व मेरा भाई सांवर लाल तहसील कार्यालय अॅराई से रवाना होकर अजीत पाल सिंह की दूकान पर जाकर मिले तो उसने भी राकेश बाबूजी के लिये 25000 रूपये मांगे तथा मेरी दोनो रजिस्ट्री भी हमारे को नही दी। मैं अपने जायज काम के बदले मे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हु, वरन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा भाई सांवर लाल मेरे साथ ही उपस्थित है कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी श्री हरीराम से पूछताछ की गई तो उसने प्रार्थना पत्र मंे अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरे बडे दादाजी श्री झीता पुत्र चतरा के नाम से ग्राम जोरावरपुरा व ग्राम गोठियाना मे स्थित कृषि भूमि की रजिस्ट्री मेरे नाम से करवाई थी तथा मेरी बुआ श्रीमती कैलाशी देवी एवं सीता देवी के नाम से पुश्तैनी कृषि भूमि का हकत्याग मेरे पक्ष मे दिनांक 29.12.2023 को करवाकर दोनो रजिस्ट्री व हकत्याग तहसील कार्यालय मे रजिस्ट्रेशन हेतु नीती पत्र लेखक श्री अजीत पाल सिंह के मार्फत प्रस्तुत किये थे। उक्त दस्तावेज लेने हेतु मैं व मेरा भाई सांवरलाल दिनांक 05.01.2024 को तहसील कार्यालय अराई के बाबू श्री राकेश शर्मा से मिले तो उन्होने दोनो रजिस्ट्रीया रजिस्टर्ड करके अजीत पाल सिंह को देना अवगत कराया तथा हकत्याग मांगने पर बताया कि हकत्याग रजिस्टर्ड नही किया है। हकत्याग रजिस्ड करने व रजिस्ट्री का खर्चा 25000 रूपये मांगे परन्तु हमने कहा कि हमने तो हकत्याग की 1450 रूपये व रजिस्ट्री के पेटे चालान, स्टाम्प डयुटी पूर्व मे ही जमा करवा दी है अब रूपये किस बात के देने है तो श्री राकेश जी ने कहा कि रूपये दिये बगैर आपका काम नही होगा आप अजीत पाल सिंह से जाकर मिल लो तथा रूपये उनको दे देना वो मेरे पास पहुंचा देंगे तथा दोनो मूल रजिस्ट्री भी मैने उनको दे दी हैै। जिस पर हम दोनो भाई जाकर अजीत पाल सिंह से मिले तो उसने भी राकेश बाबूजी को देने के लिये 25000 रूपये की रिश्वत की मांग की तथा दोनो रजिस्ट्रीयां व हकत्याग रूपये देने के उपरान्त ही देना बताया। मैं अपने जायज काम के बदले मे रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं दोनो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। उक्त कार्यवाही मे मेरा भाई सांवर लाल भी मेरे साथ ही उपस्थित रहेगा। मैं व सांवर लाल दोनो मिलकर ही कार्यवाही करवाना चाहते है। मेरा राकेश शर्मा व अजीत पाल सिंह से किसी प्रकार का कोई लेन-देन अथवा उधार की राशि बकाया नहीं है एवं ना ही किसी प्रकार की उनसे रंजिश अथवा द्वेष भावना है। मेरी तहसील कार्यालय अराई मे किसी प्रकार की कोई राजकीय राशि तथा रजिस्ट्री, हकत्याग से सम्बंधित कोई राशि जमा करवाया जाना बकाया नहीं है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हरीराम को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध मे पूछताछ की गई तो परिवादी हरीराम ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने साथ उपस्थित सह परिवादी श्री सांवर लाल द्वारा हस्तलिखित होकर अपने-अपने हस्ताक्षर होना अवगत कराया। प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी व सहपरिवादी से पूछताछ की गई तो उसने अंकित तथ्य सही होना अवगत कराते हुए अपने बडे दादा श्री झीता व अपनी बुआ श्रीमती सीता देवी व कैलाशी देवी के नाम से पुश्तैनी जमीन होने की जमाबन्दी की नकल प्रतियां प्रस्तुत की। जिस पर हरीराम ने अपने हस्ताक्षर होना अवगत कराया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त के आधार पर मामला पीसी एक्ट (यथा संशोधन 2018) 1988 का गठित होना पाया जाने से प्रक्रियानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आरोपी से वार्ता करने के सम्बन्ध मंे पूछताछ की गई तो परिवादी ने कहा कि आरोपी रिश्वत के संबंध मे अपने मोबाईल फोन से वार्ता नही कर आमने सामने ही वार्ता करता है। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को रिश्वत मांग के संबंध मे पूछा तो बताया कि आज समय अधिक हो चुका है तथा अॅराई पहुंचने पर तहसील कार्यालय बन्द हो जायेगा, आरोपीगणो से आज वार्ता नही हो सकती। आप कल अपने कार्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय कार्यालय खुलने के समय पर भिजवा देवे मैं व मेरा भाई संावरलाल आपको वहां उपस्थित मिल जायेंगे। परिवादी व सहपरिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने मोबाईल

नम्बर प्रार्थना पत्र मे अंकित होना अवगत कराया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकियानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने हेतु कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि न. 244 को अपने कार्यालय कक्ष मे तलब किया गया। परिवादी व सहपरिवादी का श्री अर्जुन लाल कानि से आपस मे एक दूसरे से परिचय करवाया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे मे अवगत करवाया गया तथा एक दूसरे को अपने अपने मोबाईल नम्बर दिये जाकर आईन्दा मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु पाबन्द कर परिवादी व सह परिवादी को कार्यालय से रूखसत किया गया। श्री अर्जुन लाल कानि को हिदायत प्रदान की गई कि कार्यालय का डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर व नया मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर कल दिनांक 09.01.2024 को परिवादी एवं सहपरिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। कार्यालय के अन्य स्टाफ को भी आवश्यक हिदायत प्रदान कर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आलमारी मे सुरक्षित रखे गये। दिनांक 09.01.2024 समय 12.15 पीएम पर कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाॅयस रिकार्डर मय नया मैमेारी कार्ड इश्यू करवाकर परिवादी श्री हरीराम व सहपरिवादी श्री सांवर लाल के मोबाईल नम्बर दिये जाकर कार्यालय का सरकारी वाहन बोलेरो आरजे14 यूडी 1398 मय चालक श्री मनीष कुमार के रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु कार्यालय से अॅराई के लिये रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय मे ही उपस्थित रहा। समय 03.40 पीएम पर श्री अर्जुन लाल कानि ने जरिये मोबाईल फोन सूचना दी की परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वत राशि मांग का सत्यापन किया जा चुका है तथा मांग सत्यापन के समय आरोपीगणो व परिवादी तथा सहपरिवादी के मध्य कार्यालय के डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर मे दर्ज आवाज को सुना जाने पर आरोपी श्री राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक तहसील कार्यालय अरांई के द्वारा डीड राईटर श्री अजीत पाल सिंह के मार्फत हकत्यागनामा रजिस्टर्ड करने की एवज मे 25000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर वार्ता के अनुसार 24000 रूपये लिया जाना तय किया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अर्जुन लाल कानि को डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर मय मैमेारी कार्ड परिवादी व सहपरिवादी सहित गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर कार्यालय मे उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये। समय 05.30 पीएम पर कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि, परिवादी श्री हरीराम, सहपरिवादी श्री सांवरलाल मय कार्यालय के चालक श्री मनीष कुमार मय सरकारी वाहन के कार्यालय मे उपस्थित आये। श्री अर्जुल लाल कानि द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमेारी कार्ड प्रस्तुत किया तथा हालात अवगत कराये कि मंै समय करीब 12.15 पीएम पर कार्यालय से रवाना होकर 01.15 पीएम पर अराई स्थित कस्बे मे पहुंचा। जहां परिवादी व सहपरिवादी से सम्पर्क कर राजकीय महाविधालय अराई के सामने उपस्थित होकर आपस मे एक दूसरे से मिले। जहंा परिवादी हरिराम को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कहा गया तो उसने बताया कि आरोपी श्री राकेश शर्मा, पजीयन लिपिक व अजीत पाल सिंह डीड राईटर अपने-अपने कार्यालय मे ही मौजूद है। आज उनसे रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध मे आमने सामने होकर वार्ता की जा सकती है। मन कानि. द्वारा परिवादी श्री हरीराम व सहपरिवादी श्री सांवर लाल को कार्यालय कें िडजीटल वाॅयस रिकार्डर मे मैमेारी कार्ड संधारित कर वाॅयस रिकार्डर को चालू व बन्द करना तथा आॅपरेट करने की समझाईश दी गई। समय करीब 01.45 पीएम पर परिवादी श्री हरीराम को आरोपी श्री अजीत पाल सिंह डीड राईटर की दूकान अम्बिका टाईपिंग एण्ड कम्पयूटर्स अराई की और कार्यालय का डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर देकर मोटर साइकिल से रवाना किया गया तथा मै भी उसके पीछे-पीछे अपनी उपस्थिति छिपाते हुए उनके मध्य होने वाली वार्ताओ को देखने के प्रयास मे अम्बिका टाईपिंग के आस पास ही मुकिम रहा। समय करीब 02.00 पीएम के आसपास परिवादी श्री हरीराम अम्बिका टाइपिंग एण्ड कम्पयूटर्स की दूकान से बाहर निकल कर आता हुआ नजर आया। जिसके पीछे पीछे मैं भी मालपुरा रोड की और चलकर परिवादी से वायस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी श्री हरीराम ने बताया कि अजीत पाल सिंह से मेरी वार्ता हो चुकी है। उसने पूर्व मे मांगे गये 25000 रूपये की ही मांग की है तथा मैने उससे उक्त दस्तावेजो के पेटे खर्च की गई राशि एवं मेरे द्वारा अदा की गई राशि के सम्बंध मे लिखकर दिये जाने हेतु भी कहा परन्तु उसने मुझे मना कर दिया तथा रिश्वत राशि 25000 रूपये के संबंध मे राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक से वार्ता करने हेतु कहा है। श्री अजीत पाल सिंह ने बिना रूपये दिये मुझे रजिस्ट्री व हकत्याग भी नही दिया है। इस पर मन कानि के द्वारा परिवादी श्री हरीराम को कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमेारी कार्ड चालू कर समय करीब 02.15 पीएम के आस पास तहसील कार्यालय परिसर मे आरोपी श्री राकेश शर्मा से वार्ता करने हेतु रवाना किया गया। मैं व सहपरिवादी तहसील कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मौजूद रहे। समय करीब 02.30 पीएम के आस पास परिवादी श्री हरीराम पंजीयन कक्ष से निकलकर तहसील कार्यालय के बाहर सरवाड रोड की और जाते हुए नजर आया। जिस पर मन कानि0 द्वारा परिवादी को सुनसान स्थान पर रोककर डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी को श्री राकेश शर्मा के मध्य हुई दर्ज वार्ता के संबंध मे पूछा तो बताया कि राकेश जी ने कहा है कि आपकी दोनो रजिस्ट्री मूल ही श्री अजीत पाल सिंह को दे दी है तथा हकत्यागनामा मेरे पास ही रखा है। हकत्यागनामा रजिस्टर्ड करने के बदले मे मेरे से रिश्वत के सम्बंध मे वार्ता की गई तो उन्होने कहा कि मैने खर्चे पानी के लिये अजीत पाल सिंह को बता दिया है आप उनको रूपये दे दो वो मेरे पास भिजवा देंगे। इस पर मैने कहा कि मैं अभी थोडी देर पहले ही अजीत पाल सिंह से मिलकर आया हु,ं उन्होने आपसे वार्ता करने हेतु कहा

है। इस पर आरोपी श्री राकेश शर्मा ने मेरे को कहा कि आप उनके पास चले जाओ मैं उनको टेलिफोन कर दुंगा, आपका काम करने के उपरान्त भी आप इस तरह की बात करते हो, मैने आपके फायदा पहुचाया है। अब आपको रूपये देते हुए परेशानी आ रही है, इतना कहकर आरोपी श्री राकेश शर्मा तहसीलदार जी के कक्ष मे चला गया। उक्त दोनो के मध्य हुई वार्ता को दर्ज कर लाया हुं। दर्ज वार्ता को मन कानि0 द्वारा सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हुई। समय करीब 02.48 पीएम पर परिवादी श्री हरीराम के मो.न. 9116998410 से आरोपी श्री अजीत पाल सिंह के मो.न. 9784267763 से वार्ता करवाई गई तो अजीत पाल सिंह ने परिवादी को अपनी दूकान पर ही आकर वार्ता करने हेतु कहा। परिवादी व आरोपी श्री अजीतपाल सिंह के मध्य मोबाईल पर हुई उक्त वार्ता को परिवादी का स्पीकर आॅन कर डिजीटल वाॅयस रिकार्डर मे दर्ज की गई। तत्पश्चात समय करीब 03.00 पीएम के आसपास परिवादी श्री हरीराम व सहपरिवादी श्री सांवर लाल को आरोपी श्री अजीत पाल सिंह से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बंध मे पुनः वार्ता करने हेतु कार्यालय का डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित कर उनकी स्वंय की मोटर साइकिल से अम्बिका टाइपिंग एण्ड कम्पयूटर्स अॅराई की और रवाना किया गया। उनके पीछे पीछे मैं भी दूकान के आस पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मौजूद रहा। समय करीब 03.16 पीएम के आस पास परिवादी व सहपरिवादी आरोपी अजीत पाल सिंह से वार्ता कर उनकी दूकान से निकलते हुए मोटर साइकिल से जाते हुए नजर आये। मैं भी उनके पीछे पीछे जाकर ईशारे से रूकवाया जाकर मालपुरा रोड पर पीएचईडी कार्यालय के बाहर मिले। जहां परिवादी से डिजीटल वाॅयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। उपस्थित सहपरिवादी श्री सांवर लाल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी अजीत पाल सिंह ने श्री राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक तहसील कार्यालय अराई से 02 रजिस्ट्री व 01 हकत्यागनामा रजिस्टर्ड करवाने के बदले मे हमारी मदद करने के नाम पर 25000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 24000 रूपये लिया जाना तय किया है। मन कानि0 द्वारा परिवादी, सहपरिवादी के द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हेतु डिजीटल वायस रिकार्डर मे मैमोरी कार्ड संधारित कर दर्ज आवाज को सुना गया तो उनके द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनो की ताईद हुई। समय करीब 03.39 पीएम के आस पास मन कानि0 द्वारा समस्त हालात आप श्रीमान को अवगत करवा दिये गये, आपके द्वारा प्राप्त निर्देशो की पालना मे मैं अभी कार्यालय मे उपस्थित हुआ हुं। समय 05.30 पीएम पर कानि0 अर्जुन लाल मय परिवादी, सहपरिवादी के कार्यालय मे उपस्थित आये तथा उपरोक्त तथ्यांे से अवगत करवाया। उपरोक्त तथ्यो के संबंध मे उपस्थित परिवादी व सहपरिवादी से पूछताछ की गई तो अर्जुन लाल कानि द्वारा बताये गये समस्त तथ्य सही होना अवगत कराये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी व सह परिवादी की उपस्थिति मे कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे दर्ज आवाज को सुना गया तो बताये गये तथ्यो की ताईद हुई कि आरोपी श्री राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक तहसील कार्यालय अराई के द्वारा डीड राईटर श्री अजीत पाल सिंह के मार्फत परिवादी हरिराम के बडे दादा श्री झीता पुत्र चतरा के नाम से बैचान की गई भूमि की 02 रजिस्ट्रीयां व परिवादी की बुआ श्रीमती कैलाशी देवी व सीता देवी के द्वारा हकत्याग नामे को रजिस्टर्ड करने की एवज मे 25000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 24000 रूपये की रिश्वत राशि लेना तय हुआ है जो रश्वत राशि मांग का सत्यापन वार्ता मे स्पष्ट दर्ज होना पाया गया है। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपीगणो द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का कोई समय व दिनांक तय नही की गई है, मात्र दर्ज वार्ता के अनुसार 24000 रूपये की रिश्वत राशि आरोपीगणो द्वारा ग्रहण करने के उपरान्त दस्तावेज दिये जाना अवगत कराया है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी व सहपरिवादी को रिश्वत राशि 24000 रूपये की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तो उपस्थित सहपरिवादी ने बताया कि मैं अभी अपने एटीएम कार्ड से रूपये विड्रोल करके आपके समक्ष पेश कर दूंगा। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु स्वंतत्र गवाह की तलबी व फर्द ट्रंासस्क्रिप्ट तैयार की जाना आवश्यक है। कार्यालय समय समाप्त हो चुका है अतः आज स्वतंत्र गवाह की तलबी की जाना उचित प्रतीत नही होता है। परिवादी व सहपरिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत प्रदान कर कल दिनांक 10.01.2024 को प्रातः 09.30 एएम पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया जाकर रूखसत किया गया तथा कार्यालय के उपस्थित स्टाफ को भी प्रातः कार्यालय समय मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर मय मैमेारी कार्ड सुरक्षित मन उप अधीक्षक पुलिस की आलमारी मे रखवाये गये। दिनांक 10.01.2024 समय 10.00 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री हरीराम व सहपरिवादी श्री सांवरलाल उपस्थित कार्यालय आये व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मंै आज रिश्वत राशि 24,000 रू0 आरोपीगणो को देने के लिए लेकर आया हॅू। मेरी उनसे रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मंे पूर्व मंे वार्ता हो चुकी है तथा आज उनकोे रिश्वत राशि देकर मेरे रजिस्टर्ड दस्तावेज प्राप्त कर सकते है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम टे^ap कार्यवाही की जाने हेतु गवाहान की तलबी के लिए कार्यालय के श्री बुधराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस को तहरीर सुपुर्द कर कार्यालय के सरकारी वाहन मय चालक श्री मनीष कुमार के कार्यालय संयुक्त निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर वेलफेयर विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के लिए रवाना किया गया। समय 11.30 एएम पर श्री बुधराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहन व कानि0 चालक श्री मनीष कुमार के पेन्शन विभाग अजमेर से दो स्वतन्त्र गवाह तलब कर उपस्थित कार्यालय आये। उपस्थित गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम (1) श्री अभिषेक तानाण पुत्र श्री

प्रहलाद राम उम्र 30 साल जाति मेघवाल ग्राम रासलियावास तहसील रियाबडी जिला नागौर हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेल्फेयर विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर (2) श्री रमेश कुमार मुंदडा पुत्र बजरंग लाल मुंदडा उम्र 49 साल जाति माहेश्वरी निवासी मकान न. 628 बी के कोल नगर थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेल्फेयर विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर होना बताया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि किसी गोपनीय कार्यवाही में आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है। समय 12.15 पीएम पर परिवादी श्री हरीराम व सहपरिवादी श्री संावरलाल तथा तलबशुदा गवाहान श्री रमेश कुमार मुंदडा व श्री अभिषेक तानाण भी कार्यालय मे उपस्थित हैं। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मंे अवगत कराया। परिवादी श्री हरीराम व सहपरिवादी श्री सांवरलाल व आरोपी श्री राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक तहसील कार्यालय अराई व श्री अजीत पाल सिंह डीडराईटर के मध्य दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.01.24 जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमेारी कार्ड में दर्ज की गई है। अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी व सहपरिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर करते हुए स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता दिनांक 09.01.2024 को रिष्वत राषि मांग सत्यापन के समय जरिए मोबाईल फोन व रूबरू आपस में एक-दूसरे से हुई दर्ज वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपी श्री राकेश शर्मा व अजीत पाल सिंह द्वारा परिवादी श्री हरीराम के दिनांक 29.12.23 को प्रस्तुत की गई 02 रजिस्ट्रीयां व 01 हकत्याग नामा के दस्तावेज को रजिस्टर्ड कर देने की एवज मंे रिश्वत राशि 25,000 रू0 की मांग कर 24,000 रू0 रिष्वत राषि की मांग किए जाने की ताईद होने पर उपस्थित गवाहान द्वारा बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। ब्यूरो की प्रक्रियानुसार समय 12.45 पीएम पर कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को संधारित कर कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-ब-शब्द तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज की हेश वेल्यू कार्यालय के लेपटाॅप से निकाली जाकर प्रिण्ट प्रात कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गए। मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चार सीडीयो में संधारित कर तैयार करवाये गए। मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थेली मंे डालकर एफ0एस0एल0 हेतु, एक सीडी को कपड़े की थेली में डालकर न्यायालय हेतु तथा दूसरी व तीसरी सीडी को कपड़े की थेली में पृथक पृथक डालकर आरोपीगण हेतु सिल्ड किया जाकर सील चिट पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। शेष अन्य चतुर्थ सीडी को कागज के लिफाफे में रख कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात परिवादी श्री हरीराम व सहपरिवादी श्री सांवरलाल को रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही हेतु कहा गया तो उन्होने अवगत कराया कि आज कार्यवाही मे अधिक समय व्यतीत हो चुका है तथा अराई पहुंचने पर आरोपी भी अपने कार्यालय से चले जायेंगे। अतः आज रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही की जाना उचित नही है। परिवादी व सहपरिवादी को गोपनीयता बनाये रखते हुए कल दिनांक 11.01.2024 को प्रातः 8 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने के निर्देश देकर रूखसत किया गया। स्वतंत्र गवाहान, कार्यालय स्टाफ को कल प्रातः 7.30 एएम पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये तथा समस्त हालात से उच्चाधिकारीयो को अवगत कराया गया। दिनांक 11.01.2024 समय 09.00 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री हरीराम व सहपरिवादी श्री सांवरलाल, स्वतंत्र गवाह, कार्यालय स्टाफ कार्यालय मे उपस्थित आये। मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री हरीराम ने बताया कि मंै आज रिश्वत राशि 24,000 रू0 आरोपीगणो को देने के लिए लेकर आया हूॅ। मेरी उनसे रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मंे पूर्व मंे भी वार्ता हो चुकी है तथा उनकोे आज दिनांक को रिश्वत राशि देकर मेरे रजिस्टर्ड दस्तावेज प्राप्त कर सकते है। समय करीब 09.15 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम टे^ap कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री हरीराम को रिष्वत राषि पेष करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपीगण श्री राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक तहसील कार्यालय अराई जिला अजमेर व श्री अजीत पाल सिंह डीड राईटर अराई को रिष्वत में दी जाने वाली राषि पेश करने हेतु कहा तो परिवादी श्री हरीराम ने अपनी जेब में से निकाल कर 500-500 रूपये के 48 नोट कुल 24,000 रूपये की राषि प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट प्रस्तुत किए। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटांे के दोनों ओर कार्यालय के श्री तुलछाराम हैड कानि से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को समझाया जाकर फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवायें जाकर परिवादी श्री हरीराम को रिष्वत राषि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईषारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवष्यक हिदायत बरतने के निर्देष दिये गये। समय 12.15 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ

श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री बुधराज स.उ.नि. ,श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री कपिल कानि0, श्री लखन कानि0 सहपरिवादी श्री सांवरलाल व स्वतन्त्र गवाह श्री रमेश कुमार मुंदडा व श्री अभिषेक तानाण कार्यालय के सरकारी एवं प्राइवेट वाहन तथा परिवादी श्री हरीराम व श्री अर्जुन कानि0 को वाॅयस रेकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर सुपुर्द कर परिवादी की मोटर साइकिल से अॅराई के लिये रवाना किया गया। उसके पीछे-पीछे श्री मन उप अधीक्षक पुलिय मय हमराहीयान स्टाफ,गवाहान के सरकारी व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवष्यक हिदायत के अॅराई की ओर रवाना हुए तथा श्री तुलछाराम हैड कानि को कार्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देष प्रदान किये। समय 01.45 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान परिवादी व स्टाफ के तहसील कार्यालय अराई के पास स्थित सरवाड रोड पर पहुंचे। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के कार्यालय के वाहनों को साईड मे खडा कर मन् उप अधीक्षक पुलिस व स्वतन्त्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस मय हमराह पार्टी सदस्य व सहपरिवादी श्री सांवरलाल सरवाड रोड पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए तहसील कार्यालय परिसर के आस पास ही मुकिम रहे। परिवादी श्री हरिराम को आरोपी श्री अजीत पाल सिंह व श्री राकेश कुमार के बारे मे जानकारी करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी अजीत पाल सिंह अपनी दुकान अम्बिका टाइपिंग एवं कम्पयूटर्स पर ही मोजूद है तथा अन्य आरोपी श्री राकेश कुमार भी अपने कार्यालय मे मौजूद है। समय करीब 02.00 पीएम के आस पास परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वाॅइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के संधारित कर चालु व बंद करने की समझाईष कर परिवादी को आरोपी श्री अजीत पाल सिंह को रिश्वत राशि देने हेतु उसकी मोटर साइकिल से अम्बिका टाइपिंग की दूकान की और रवाना किया गया तथा श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक, मय बुधराज सउनि, सहपरिवादी श्री सांवरलाल के तहसील कार्यालय पंजीयन कक्ष की और आरोपी श्री राकेश कुमार वैष्णव पर निगरानी रखने हेतु पैदल पैदल ही रवाना किया गया। सभी को हिदायत प्रदान कर परिवादी द्वारा प्राप्त ईषारे के इन्तजार मंे अम्बिका टाइपिंग के आस पास मुकिम रहे। समय करीब 02.10 पीएम पर परिवादी श्री हरिराम ने आरोपी श्री अजीत पाल सिंह की दूकान अम्बिका टाईप एण्ड कम्पयूटर्स तहसील कार्यालय के सामने मालपुरा रोड अॅराई जिला अजमेर की सीढीयो से उतरकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा रिश्वत राशि प्राप्ति का किया। मन उप अधीक्षक पुलिय मय हमराहीयान स्टाफ सर्व श्री कन्हैया लाल सउनि, कपिल कानि0, लखन कानि0,अर्जुन लाल कानि0 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान के आरोपी की दूकान अम्बिका टाईप एण्ड कम्पयूटर्स के लिये रवाना हुआ, जहां सामने से परिवादी आता हुआ मिला। जिसने मन उप अधीक्षक पुलिस को डिजीटल वाॅयस रिकार्डर निकाल कर पेश किया। जिसे मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा चालू हालत मे प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी श्री हरिराम ने बताया कि आरोपी श्री अजीतपाल सिंह ने मेरे से रिश्वत राशि 24000 रूपये की बातचीत कर रिश्वत राशि अपने पास मे उपस्थित अन्य व्यक्ति को दिलवाई है, जिसने उक्त रूपये प्राप्त कर अपने हाथ मे गिनकर रखे है। मुझे अजीत पाल सिंह ने अपनी टेबिल मे बनी हुई दराज मे से मेरे नाम की 02 रजिस्ट्री व हकत्याग नामा की प्रति मुझे दे दी है जो मेरे पास ही है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हरिराम को साथ लेकर मय हमराह गवाहान,स्टाफ के आरोपी की दूकान पर पहुंचे। जहां सामने एक बडी टेबल पर दो व्यक्ति कम्पयूटर का कार्य करते हुए नजर आये। सामने बडी टेबल पर बैठे हुए व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही श्री अजीत पाल सिंह स्टाम्प वेण्डर है जिन्होने अभी अभी मेरे से 24000 रूपये की रिश्वत राशि इनके पास मे बैठे हुए व्यक्ति को दिलवाई है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवाहान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री अजीत पाल सिंह पुत्र श्री शिवनाथ ंिसंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड न. 4 बालाजी मन्दिर के पास ग्राम छोटा लाम्बा पुलिस थाना अॅराई जिला अजमेर हाल निवासी म.न.82-पण्डित फतेह लाल नगर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर हाल स्टाम्प वेण्डर प्रोपराईटर अम्बिका टाईप एण्ड कम्पयूटर्स तहसील के सामने मालपुरा रोड अॅराई जिला अजमेर होना अवगत कराया। जिस पर श्री अजीत पाल सिंह को परिवादी श्री हरिराम से प्राप्त की गई 24000 रूपये की रिश्वत राशि के संबंध मे पूछा तो आरोपी चुप रहा तथा कुछ नही बोला, श्री अजीतपाल सिंह को पुनः समझाईश कर रिश्वत राशि के संबंध मे पूछताछ की गई तो उसने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि मैने किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नही ली है, यह झुठ बोल रहा है, इसने जो रूपये दिये है वह मेरे मेहनताने के है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अजीत पाल सिंह को अपनी मेहनताने की राशि के संबंध मे पूछा कि आपके उक्त दस्तावेज के मेहनताने की कितनी राशि बनती ह,ै तो उसने बताया कि प्रति डाक्यूमेन्ट 120 रूपये के हिसाब से मेरी तीनो डाॅक्यूमेन्टो को टाईप करने की 360 रूपये की राशि बनती है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अजीत पाल सिंह को पूछा की यदि आपकी 360 रूपये की राशि बनती है तो आपने 24000 रूपये किस बात के लिये है। इस पर आरोपी श्री अजीत पाल सिंह ने बताया कि मैने इनसे कोई रूपये नही लिये है। उपस्थित परिवादी श्री हरिराम ने आरोपी की उक्त वार्ता का स्वतः ही खण्डन करते हुए बताया कि यह झुठ बोल रहा है अभी अभी इसने मेरे से 24000 रूपये की रिश्वत राशि अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को दिलाई है, जो अभी भी आपके सामने बैठा हुआ है। श्री अजीत पाल सिंह द्वारा उक्त 24000 रूपये की राशि स्वयं नही लेकर उक्त व्यक्ति को दिलाई है तथा कहा कि मैं रूपये के हाथ नही लगाता हुं आप इसको दे दो। जिस पर मैने 24000 रूपयेे श्री

अजीत पाल सिंह के कहे अनुसार इनको दिये है जो इनके हाथ मे है। आरोपी श्री अजीत पाल सिंह चुप रहा तथा कोई जवाब नही दिया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अजीत पाल सिंह के पास ही उपस्थित बैठे हुए अन्य व्यक्ति जिसकी और परिवादी ने रिश्वत राशि लेना बताया को उससे उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री दौलतराम पुत्र श्री बिहारी लाल जाति खटीक उम्र 34 साल निवासी शनि मन्दिर के पीछे सरवाडी गेट किशनगढ जिला अजमेर का होना अवगत कराया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री दौलतराम को परिवादी श्री हरिराम से 24000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध मे पूछा तो उसने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि मेरे को तो अजीतपाल सिंह जी ने कहा था, इनके कहे अनुसार ही अभी थोडी देर पहले ही हरिराम मेरे को 24000 रूपये देकर गया था, जो मेरे हाथ मे ही है। श्री दौलतराम ने बताया कि मैं इनकी दूकान पर कम्पयूटर से संबंधित कार्य करता हुं जिसकी मेहनताने की प्रतिमाह 12000 रूपये की राशि अजीत पाल सिंह द्वारा मुझे दी जाती है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पुनः श्री दौलतराम को परिवादी श्री हरिराम से प्राप्त किये गये 24000 रूपये की रिश्वत राशि नोटो के संबंध मे पूछा तो उसने बताया कि मेरे को अजीत पाल सिंह ने उक्त रूपये लेने हेतु कहा था जिस पर यह रूपये मैं गिन ही रहा था जितने मे आप लोग आ गये उक्त रूपये के संबंध मे पूछा कि आपने ये रूपये किस बात के लिये है, तो बताया कि मुझे इसके बारे मे कोई जानकारी नही है मैने तो श्री हरिराम के द्वारा दिये जाने पर गिने जरूर थे जो 24000 रूपये है, जो अभी भी मेरे दाहिने हाथ की मुठी मे रखे है, रूपये आप रख लो मुझे इसके बारे मे कोई जानकारी नही है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री दौलतराम से उक्त 500-500 रूपये के नोटो को गवाह श्री रमेश कुमार मून्दडा को सुपुर्द करवाये गये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अजीत पाल सिंह से पूछा कि श्री दौलतराम द्वारा आपके सामने ही आपके कहे अनुसार हरिराम से 24000 रूपये प्राप्त करना बताया है तो श्री अजीत पाल सिंह चुप रहा तथा कुछ नही बोला। इस पर श्री अजीत पाल सिंह ने स्वतः ही बताया कि श्री दौलतराम ने उक्त रूपये मेरे कहे अनुसार ही हरिराम से लिये है तथा उक्त रूपये के बारे मे इसको कोई जानकारी नही है, यह मेरी दूकान पर कम्पयूटर का कार्य करता है। मैने श्री हरिराम की 02 रजिस्ट्री व 01 हकत्याग नामा दिनांक 29.12.23 को टाईप कर रजिस्टर्ड करवाने हेतु उप पंजीयक कार्यालय तहसीलदार तहसील अॅराई मे पदस्थापित पंजीयन लिपिक श्री राकेश शर्मा के समक्ष पंजीयन शाखा मे पेश किये थे, जिन्होने मेरे को श्री हरिराम से उक्त दस्तावेज पंजीयन करवाने व हकत्याग नामे को रजिस्टर्ड करवाने के बदले मे फायदा पहुंचाने का कहकर मेरे को हरिराम से 25000 रूपये लेने हेतु कहा था जो मैने इनके कहे अनुसार ही दिनांक 05.01.24 व 09.01.24 को हरिराम व इनका भाई सांवरलाल मेरे से दस्तावेज लेने आये थे तब मैने इनको 25000 रूपये देने हेतु कहा था। मैने रूपये नही देने से इनको दस्तावेज भी नही दिये थे। उक्त रूपये मैने श्री हरिराम के दस्तावेजो को पंजीयन करवाने के बदले मे श्री राकेश शर्मा के कहे अनुसार लिये है तथा उन्होने ही मुझे 24000 रूपये लेने हेतु कहा था तथा पंजीयन के दस्तावेज भी उन्होने मुझे दे दिये थे जो मैने अभी 24000 रूपये प्राप्त कर हरीराम को 02 रजिस्ट्री व 01 हकत्याग नामे की मूल प्रति सुपुर्द कर दी। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अजीत पाल सिंह को श्री राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक से वार्ता करने हेतु कहा तो उसने बताया कि उसको अभी ट्रेप कार्यवाही की संभवतया जानकारी हो चुकी है, अतः वो मेरे से मोबाईल पर रिश्वत के संबंध मे कोई वार्ता नही करेगा। समय करीब 02.17 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक मय हमराहीयान स्टाफ के सदस्य के पूर्व से तहसील कार्यालय मे उपस्थित को जरिये मोबाईल रिश्वत राशि प्राप्ति की सूचना दी जाकर श्री राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक को दस्तियाब कर थाना हाजा अॅराई पर लाने हेतु निर्देशित किया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम मे स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार मून्दडा से उक्त बरामदशुदा नोटो को गिनवाया गया तो उक्त नोट 500-500 रूपये कें होकर कुल 48 नोट होकर कुल 24000 रूपये होना बताया। उक्त 24000 रूपये की रिश्वत राशि श्री दौलत राम के दाहिने हाथ की मुठी से बरामद होने से व मौके पर आरोपी श्री अजीत पाल की दूकान पर काफी संख्या मे भीड एकत्रित होने से व्यवधान होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु श्री दौलतराम के दोनो हाथो को पौचो के उपर से क्रमश बायां व दाहिना हाथ श्री लखन कानि0 व श्री कपिल कुमार कानि0 से पकडवाये गये तथा अन्य आरोपी श्री अजीत पाल सिंह के दोनो हाथो को पौचो के उपर से क्रमशः बाये व दाहिना हाथ श्री अर्जन लाल कानि0 व श्री दामोदर कानि0 से पकडवाया जाकर प्राइवेट वाहन मे बैठाया जाकर बरामदशुदा माल वजह सबूत मय मुलजिमान के आरोपी की दूकान से रवाना होकर समय करीब 02.40 पीएम पर पुलिस थाना अॅराई पर पहुंचे। जहां थानाधिकारी श्री भंवर सिंह राव उपस्थित मिले, जिन्हे मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवाहान, परिवादी व आरोपीगणो का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जाने हेतु कक्ष की व्यवस्था के लिये निर्देश दिये गये । श्री भंवर सिंह राव द्वारा थाना हाजा के एचएम कार्यालय मे बैठकर कार्यवाही की जाने हेतु कक्ष उपलबध करवाया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकियानुसार पुलिस थाना अॅराई से एक साफ जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर टेªप बाॅक्स मे से दो पारदर्षी प्लास्टिक के गिलास निकलवाये गये। उक्त पारदर्षी प्लास्टिक के दोनो गिलासो को साफ पानी से धुलवाया गया। दोनो पारदर्षी गिलासो मे आधा-आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग-अलग पारदर्षी प्लास्टिक के गिलासो के घोल में श्री दौलतराम के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को

बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए दोनो हाथो की अंगुलियो व अगुठे के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमंशः मार्क आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पारदर्षी प्लास्टिक के गिलासो को नष्ट कराया गया। समय करीब 03.15 पीएम के आस पास श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक मय हमराहीयान गवाहान, स्टाफ व एक अन्य व्यक्ति के पुलिस थाना अॅराई पर उपस्थित हुए। उनके साथ दस्तियाबशुदा व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही राकेश शर्मा है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान स्टाफ,गवाहान का परिचय दिया जाकर उससे उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री माधाराम जाति ब्राहम्ण उम्र 31 साल निवासी मकान न.12 ब्राहम्णो का मोहल्ला ग्राम दलूसर पंचायत तौलासर तहसील सरदारशहर हाल निवासी सत्तु कालोनी विनायक नगर बीकानेर रोड सरदारशहर जिला चुरू हाल वरिष्ठ सहायक, पंजीयन लिपिक तहसील कार्यालय अॅराई जिला अजमेर होना अवगत कराया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री राकेश शर्मा को परिवादी श्री हरिराम से उनके नाम की 02 रजिस्ट्री व 01 हकत्याग नामा रजिस्टर्ड करने की एवज मे 24000 रूपये श्री अजीत पाल सिंह को दिलवाये जाने के संबंध मे पूछा तो आरोपी श्री राकेश शर्मा ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि मैने हरिराम से किसी प्रकार की कोई वार्ता नही की है एवं ना ही किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग की है। इस पर उपस्थित परिवादी श्री हरिराम ने स्वतः ही आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए बताया कि मैं इनके पास दिनांक 05.01.2024 को मेरे पंजीयनशुदा दस्तावेज लेने गया तो इन्होने मुझे मना कर दिया तथा मेरे से 25000 रूपये की रिश्वत की मांग की तथा दस्तावेज श्री अजीत पाल सिंह को देना बताया तथा हकत्याग नामा स्वयं के पास रखा होना अवगत कराया था। रूपयो के संबंध मे अजीत पाल सिंह से वार्ता करने हेतु कहा जिसकी शिकायत मैने आपको दिनांक 08.01.2024 को की थी। दिनांक 09.01.2024 को उक्त शिकायत का सत्यापन मेरे द्वारा श्री अजीत पाल सिंह व श्री राकेश जी से करवाया था। जिसके अनुसार श्री अजीत पाल सिंह ने राकेश जी के कहे अनुसार मेरे से 25000 रूपये की मांग कर 24000 रूपये लेना तय किया था। जिसकी मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 11.01.24 को श्री अजीत पाल सिंह को 24000 रूपये की रिश्वत राशि उनके कहे अनुसार उनके टाईप राईटर श्री दौलत राम को दिये है जो अभी दौलतराम के दाहिने हाथ की मुठी से बरामद हुए है। इस पर उपस्थित श्री राकेश शर्मा को पूछा कि आपके व परिवादी श्री हरिराम के मध्य दिनांक 09.01.24 को रिश्वत के संबंध मे कोई वार्ता की गई क्या, तो राकेश शर्मा ने बताया कि मेरे हरिराम से कोई वार्ता नही हुई है। यह झुठ बोल रहा है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राकेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के संबंध मे रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.01.24 मे दर्ज की गई वार्ताओ की मन ट्रेपकर्ता अधिकारी के पत्रावली मे संलग्न सीडी मे दर्ज आवाज को सुनाया गया तो श्री राकेश शर्मा ने उसमे दर्ज वार्ता स्वयं की होना स्वीकार किया तथा रिश्वत प्राप्ति के संबंध मे किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही कर चुप रहा तथा कुछ नही बोला। तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम मे आरोपी श्री राकेश शर्मा व आरोपी श्री अजीत पाल सिंह को आमने सामने बैठाकर रिश्वत के संबंध मे पूछताछ की गई तो उपस्थित आरोपी श्री अजीतपाल सिंह ने श्री राकेश शर्मा के समक्ष उक्त 24000 रूपये की रिश्वत राशि उनके कहे अनुसार ही प्राप्त करना गवाहान की मौजूदगी मे अवगत कराया। इस पर राकेश शर्मा को अजीत पाल सिंह द्वारा उक्त वार्ता के संबंध मे पूछा तो राकेश शर्मा चुप रहा तथा कुछ नही बोला। श्री दौलत राम से बरामदशुदा 24000 रूपये रिश्वती राशि नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार मुन्दडा को सुपुर्द किये गये थे को गवाह श्री रमेश कुमार मून्दडा से बरामदशुदा नोटो को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मंे बनायी गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से मिलान कराया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये। बरामदशुदा नोटों का विवरण इस प्रकार हैं:-

1 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 7 बी डब्लू
571851

2 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 7ऐ पी
340866

3 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 2टी एल
873226

4 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 2ऍम एफ
962934

13 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 5यू जी
652024
14 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 2बी क्यू
041761
15 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 4इ क्यू
339157
16 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 6यू एस
032026
17 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 9डी एन
955702
18 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 5टी क्यू
885343
19 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 9इ डब्लु
294718
20 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 7एल एस
068648
21 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 3बी ऐ
058074
22 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 4बी एम
747290
23 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 9सी इ
828327
24 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 7के आर
676436
25 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 0डब्लू आर
841616
26 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 6डी एफ
054441
27 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 5पी टी
928581
28 500 रूपये का एक नोट
नम्बर 1एल एफ
300269

जीओ कम्पनी के सिमकार्ड के नम्बर 9664216199 होना पाये गये एवं तलाशी मे एक एसबीआई डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 1017 रूपये नगद व बाये हाथ की अंगुलियो मे 03 सफेद धातु की अंगुठिया व गले मे एक सफेद धातु की माताजी की मूर्ति व एक पीली धातु की बालाजी की मुर्ति पहनी हुई होना पाई गई। श्री राकेश शर्मा को नगद राशि 1017 रूपये के संबंध मे पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त रूपये मैने अपनी जेब खर्च हेतु रखे है। आरोपी द्वारा सन्तोषजनक जवाब दिया जाने पर पाया गया समस्त सामान व मोबाईल फोन आरोपी श्री राकेश शर्मा को लौटाया गया। परिवादी श्री हरिराम द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को आरोपी श्री अजीत पाल सिंह द्वारा दौराने रिश्वत राशि लेनदेन के समय दी गई 02 रजिस्ट्री व हकत्याग की प्रतियां पेश की। जिसके संबंध मे श्री राकेश शर्मा से पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त तीनो दस्तावेज दिनांक 29.12.23 को पंजीयन हेतु तहसील कार्यालय की पंजीयन शाखा मे प्राप्त हुए थे। जिनको बतौर पंजीयन लिपिक के रूप मे पंजीयन नियमो के अनुसार पंजीकृत कर श्री अजीत पाल सिंह को दिनांक 02.01.2024 को ही सुपुर्द कर दिये थे। उक्त रजिस्ट्री के दस्तावेजो के अनुसार श्री हरिराम के द्वारा समस्त प्रकार की पंजीयन शुल्क की राशि राजकोष मे जमा करवा दी गई थी तथा हकत्याग नामे के दस्तावेज मे श्री हरिराम द्वारा 1450 रूपये की निर्धारित शुल्क की राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। उक्त दस्तावेजो के अनुसार किसी प्रकार की कोई राजस्व राशि अथवा वसूली उप पंजीयक कार्यालय अराई मे शेष नही है। उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड करने के उपरान्त मेरे द्वारा अजीत पाल सिंह को दे दिये थे। प्रस्तुतशुदा दस्तावेजो पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर दस्तावेजो की फोटो प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। मूल दस्तावेज परिवादी श्री हरिराम को सशर्त न्यायालय मे आवश्यकता अनुसार चाहे जाने पर पेश करने की हिदायत प्रदान कर मूल दस्तावेज सुपुर्द किये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अजीत पाल सिंह को दिनांक 11.01.2024 को वक्त लेन-देन के समय हुई दर्ज वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाॅयस रिकार्डर मे मैमोरी कार्ड संधारित कर गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी को सुनाई गई तो आरोपी ने दर्ज आवाज मे से एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज परिवादी श्री हरिराम तथा अन्य तीसरी दर्ज आवाज श्री दौलतराम की होना स्वीकार किया। बाद टे्प कार्यवाही सम्बन्धित घटना का नक्शा मौका घटनास्थल तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया गया। रिष्वत राषि लेन-देन के समय दिनांक 11.01.24 को दर्ज की गई वार्ताओं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी लोकसेवक श्री राकेश शर्मा के निवास, 12 ब्राहम्णो का मौहल्ला, ग्राम दल्लुसर पंचायत तौलासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू हाल निवासी सत्तु कालोनी विनायक नगर बीकानेर रोड सरदारशहर जिला चुरू की खाना तलाषी श्री महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, चुरू द्वारा ली गई जिसकी फर्द खाना तलाषी की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री हरीराम पुत्र श्री नौरतमल जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम जोरावरपुरा, सदर बाजार तहसील अरांई जिला अजमेर से उसके बडे दादा श्री झीता पुत्र चतरा के नाम से ग्राम जोरावरपुरा, गोठियाना मे स्थित कृषि भूमि की रजिस्ट्री तथा उसकी बुआ श्रीमती कैलाशी देवी एवं सीता देवी के नाम से ग्राम जोरावरपुरा, गोठियाना, झीरोता मे स्थित पुश्तैनी कृषि भूमि का हकत्याग नामे का दस्तावेज रजिस्ल्ड करवानें की एवज मे आरोपी श्री राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक तहसील कार्यालय अॅराई द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अन्य आरोपी श्री अजीत पाल सिंह स्टाम्प विक्रेता प्रोपराईर अम्बिका टाईप एण्ड कम्पयूटर्स से षडयन्त्र रचकर दिनांक 09.01.24 को 25000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर 24000 रूपये की रिश्वत राशि लिया जाना तय होना पाये जाने से आज दिनांक 11.01.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री अजीत पाल सिंह स्टाम्प विक्रेता द्वारा अपने अधिनस्थ कार्यरत श्री दौलतराम के मार्फत परिवादी हरिराम से दिनांक 09.01.2024 को रिश्वत राशि की मांग के अनुसरण मे वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त 24,000 रू0 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। रिष्वत राषि श्री दौलतराम के दाहिने हाथ की मुठी से बरामद होना तथा श्री दौलतराम के दोनों हाथों के धोवण से प्राप्त मिश्रण का रंग गुलाबी प्राप्त होना पाया गया है। दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री दौलतराम को रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता मे किसी प्रकार की कोई वार्ता दर्ज नही हांेना पाया गया है एवं ना ही उक्त लेनदेन की कार्यवाही के संबंध मे श्री दौलत राम को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही होना पाई गई है। जिसका श्री दौलतराम द्वारा मौके पर दिये गये स्पष्टीकरण मे भी किसी प्रकार का कोई खण्डन भी प्राप्त नही हुआ है। अतः श्री दौलतराम की उक्त ट्रेप कार्यवाही मे किसी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका नही होना पाये जाने से गिरफ्तार नही करने का निर्णय लिया गया है। अतः आरोपी श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री माधाराम जाति ब्राहम्ण उम्र 31 साल निवासी 12 ब्राहम्णो का मौहल्ला, ग्राम दल्लुसर पंचायत तौलासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू हाल निवासी सत्तु कालोनी विनायक नगर बीकानेर रोड सरदारशहर चुरू हाल वरिष्ठ सहायक, कम पंजीयन लिपिक कार्यालय तहसीलदार तहसील कार्यालय अॅराई जिला अजमेर एवं श्री अजीत पाल सिंह पुत्र श्री शिवनाथ िसंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी वार्ड न. 04 बालाजी मन्दिर के पास छोटा लाम्बा पुलिस थाना अॅराई जिला अजमेर हाल निवासी म.न.82 पण्डित फतेह लाल नगर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर हाल स्टाम्प वेण्डर प्रोपराईटर अम्बिका टाईप एण्ड कम्पयूटर्स तहसील के सामने मालपुरा रोड अॅराई जिला अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(यथा संशोधन 2018) 1988 सहपठित धारा 120 बी भा.द.स. का कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राजस्थान जयपुर की

सेवा में प्रेषित है। (राकेश कुमार वर्मा) उप अधीक्षक पुलिस, स्पे.यूनिट
अजमेरकार्यवाही पुलिस
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री माधाराम, वरिष्ठ सहायक, पंजीयन लिपिक, तहसील कार्यालय अराई जिला अजमेर एवं 2. श्री अजीत पाल सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह हाल स्टाम्प प्रोपराईटर, अम्बिका टाईप एण्ड कम्प्यूटर्स तहसील के सामने अराई जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 09/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन भाटी पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे अजमेर
को सुपुर्द की गई उक्त के संबधं में रोजनामचा रिपोर्ट 179 दिनांक 12.01.2024 पर दर्ज है। प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।क्रमांकः 36-39
दिनांक 12.1.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।2.
जिला कलक्टर, अजमेर।3.

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/01/2024 19:35:52

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/02/1992				
2	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)